अपील / 24 / 2023 न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

1—केशवदेव पुत्र रामसहाय । जाति जाट निवासी खेडी देवीसिंह तहसील नदबई
2—जगवीर पुत्र रामसहाय । जिला भरतपुर राज0

....अपीलान्टस

बनाम

1—इण्डियनऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जरिये प्रबन्धक आई.ओ.सी.डिपो, धौरमुई तहसील भरतपुर
2—तहसीलदार नदबई

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 7.2.2004 न्यायालय तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर बाबत गत खसरा नम्बर 57 / 0.35 बाके ग्रांम खेडी देवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर

उपस्थितः—
1—श्री प्रमोद कुमार, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पैरोकार सरकार रेस्पो.

आदेश दिनांक 20.3.2024

अपीलान्टस ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ तहसीलदार नदबई नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 7.2.2004 पेश की गई है। तहसीलदार नदबई ने अपने अपीलाधीन आदेश में नामान्तकरण संख्या 961 ग्रांम खेडीदेवीसिंह, अपीलान्ट की खातेदार आराजी पर रेस्पो. संख्या 1—इण्डियन आयल कॉरपोरेशन लि0 की खातेदारी दर्ज कर दी गई है। उक्त इन्द्राज से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पो की तलबी गई। रेस्पो. न.1 ने इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0. की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी गत खसरा नम्बर 57 / 0.35 के 17 ऐयर रकवा को रेस्पो संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। वर्तमान में गत खसरा नम्बर 57 / 035 का हाल खसरा नम्बर 85 निर्मित किया गया है जिसका उप विभाजन हो जाने पर नये खसरा नम्बर 2370 / 85 / 0.09, 2369 / 85 / 0.09, 2131 / 0.17 बनाये गये हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में अंकित आदेश जिला कलक्टर महोदय से यह नामान्तकरण स्वीकार कर अपीलान्ट की आराजी को रेस्पो. इण्डियन आयल कॉरपोरेशन के नाम दर्ज कर दिया गया है। रेस्पो. न.1 के द्वारा कोई आराजी अधिग्रहण नहीं की है और नाहीं इस आराजी का मुआवजा ही दिया गया है जिसके बिना अपीलान्ट की आराजी रेस्पो.1 के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्टस को कोई नोटिस नहीं दिये गये हैं जो कि विधिविरुद्ध हैं। अपीलान्टस

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः गलत इन्द्राज को कलमजन कराये जाने के आदेश दिये जावे। नामान्तकरण आरम्भ से ही शून्य व अवैध है और ऐसे आदेश की अपील करने की कोई समय अवधि नहीं है परन्तु देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 7.2.2004 गत खसरा नम्बर 57/35 वाके ग्राम खेडीदेवीसिंह निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

रेस्पो. संख्या 1 की ओर से जवाब दिनांक 24.1.24 पेश किया गया। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि इण्डियन आयल कॉरपोरेशन लि0 पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए पाईप लाइन बिछाता है हम इस भूमि के अर्जन के लिए मुआवजा प्रदान करते हैं तथा इस जमीन को अपने नाम पर नांमतरित नहीं कराते हैं इस भूमि का मालिकाना हक मूल खातेदार के पास ही रहता है हमारे पास केवल पाइपलाईन के रखरखाव तथा सर्वेक्षण से संबन्धित कार्य करने का अधिकार होता है। आईओसी के रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 57/0.35 नया खसरा नम्बर 2131/0.17 पर रखरखाव तथा सर्वेक्षण से संवन्धित कार्य करने का अधिकार ही आईओसी के पास है, आई ओ. सी इस भूमि की खातेदार नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। जैसा कि आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it must be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त नज़ीरों को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये। अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 7.2.2004 में आराजी खसरा नम्बर 57/0.35 नया खसरा नम्बर 2131/0.17 पर हो रहे इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 के नाम गलत हो रहे खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जावे। इस सम्बन्ध इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. की ओर से प्रस्तुत जबाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की विवादित आराजी में से होकर अन्डर ग्राउन्ड पाईप लाईन पैट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिये डाली गई, सर्वेक्षण से संबन्धित कार्य करने का अधिकार ही आईओसी के पास है, आई.ओ.सी के इस भूमि में खातेदार नहीं है। इस प्रकार विवादित नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 7.2.2004 के कॉलम नम्बर 9 में हो रहे अपीलान्ट की खातेदारी में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 के खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाना उचित पाते है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतःआदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 961 दिनांक 7.2.2004 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 20.3.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा.अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर